न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No.-404/2026

Katihar Sahayak P.S. Case No.- 1154/2025

1. आशीष यादव पिता रंजन यादव, उ0त0 30 वर्ष,
2. तुसार यादव पिता प्रमोद यादव, उ0त0 21 वर्ष
   साकिन– बरमसिया, थाना– सहायक,
   जिला– कटिहार। .....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार .....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री..... सरदार यशवंत सिंह।

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री .....किशोर कुमार सिंह।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांकः 04.04.2026 आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 18.03.2026 को आवेदकगण की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार सिंह द्वारा दाखिल की गयी है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक नागेन्द्र यादव ने थानाध्यक्ष सहायक थाना कटिहार को एक टंकित आवेदन दिया कि दिनांक 04.12.2025 के करीब शाम 6:15 बजे उपरोक्त अभियुक्तों के साथ रंजन यादव, धर्मेन्द्र यादव, आशीष यादव, तुसार गौरव, मुन्नी देवी, प्रियंका देवी, शिम्पू यादव, मिट्ठु यादव तथा इनके साथ दो और अन्य आदमी जिसे सूचक नहीं पहचानता है, करीब 6:15 बजे में अपने घर में था तो गाली–गलौज करने की आवाज आया तो मैंने खिड़की से देखा कि सभी अभियुक्तों के द्वारा गाली–गलौज करते हुए उसके कुछ देर बाद ईंट–पत्थर फेंकना शुरू कर दिया गया, उससे मेरा बहुत सारा एलवेस्टर टूट फुट गया और हमलोग घर से बाहर नहीं निकले। जब मैं अपने छत से नीचे जा रहा था तो मेरे आंगन में मुझे आशीष यादव, तुसार गौरव और उसके साथ दो अन्य आदमी थे, जिसे मैं नहीं पहचानता, इन चारो ने ईंट–पत्थर से मारना शुरू कर दिया तो मैं बचते हुए घर में प्रवेश करने ही वाला था कि आशीष यादव ने ईंट चलाया जो मेरे सिर पर लगा, जिसे बहुत सारा खून बह गया तो मैं दो गमछा से बांधकर सदर अस्पताल गया जहां मेरे सिर में सिलाई करने के बाद पट्टी किया गया।

3. अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।

4. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार सिंह द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण को परेशान करने के लिए विद्वेशपूर्ण आशय से मनगढंत कहानी के आधार पर यह केस किया गया है। आवेदकगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक आशीष यादव का एक आपराधिक इतिहास है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदकगण को इस वाद में पारिवारिक झगड़े तथा संपत्ति के बंटवारे में हुए मनमुटाव के कारण फंसाया गया है। इस मामले की सह अभियुक्ता मुन्नी देवी ने भी आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध केस की है। धारा 109 भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर अन्य सभी आरोपित धाराएं जमानतीय प्रकृति की है। आवेदकगण स्थानीय और सक्षम जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार हैं तथा वह धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत दिये गये शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः यह अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि नागेन्द्र यादव के द्वारा टंकित आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध नगर कटिहार थाना कांड संख्या 1154/2025 दिनांक 05.12.2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 125A, 125B 109(1), 324(2), 351(2), 351(3), 3(5) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है और अभियुक्तों पर आरोप है कि बंटवारा के विवाद को लेकर सूचक के साथ गाली–गलौज करते हुए ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे सूचक का एलीबेस्टस टुट गया तथा अशीष यादव ने ईंट चलाया जो सूचक के सिर पर लगा, जिससे बहुत सारा खून बह गया, जिसका ईलाज सदर अस्पताल में हुआ। कांड दैनिकी के कंडिका 3, 4, 5, 6 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका 33 में जख्मी नागेन्द्र यादव के सिर पर एकमात्र जख्म पाया गया है जो चिकित्सक की राय में साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुन्द पदार्थ से कारित किया गया है। जख्मी नागेन्द्र यादव का कल्पना सीटी स्कैन सेन्टर का प्रतिवेदन अभिलेख पर है। कांड दैनिकी के कंडिका 16 में आशीष यादव के विरूद्ध सहायक थाना कांड संख्या– 451/2022 दिनांक 28.7.2022 अन्तर्गत धारा 364, 307/34 भा0द0वि0 अंकित पाया गया है। कंडिका 20 में स्वतंत्र साक्षी टुनटुन राय उर्फ अजित राय का बयान है कि दोनों पक्ष उग्र हो गए थे और ईंट पत्थर चला रहे थे, उसी दौरान नागेन्द्र यादव उर्फ राजीव यादव गिर गया, जिससे उसका सिर फट गया। आवेदकगण के विरूद्ध अन्य पारिवारिक मामला धारा 341, 342, 323, 504 भा0द0वि0 दर्ज होने की बात जमानत आवेदन में दर्ज किया गया है। घटना को लेकर उभय पक्ष एक दूसरे के विरूद्ध मामला दर्ज कराये हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से विदित है कि आशीष यादव द्वारा पत्थर चलाये जाने से सूचक के सिर में जख्म होने का आरोप लगाया गया है। सूचक के सिर पर एकमात्र जख्म पाया गया है जो चिकित्सक की राय में कठोर एवं कुन्द पदार्थ से कारित किया गया साधारण प्रकृति का है तथा मामले के अन्य अभियुक्तों पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और बंटवारा को लेकर घटना घटित हुई है।

7. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से विदित है कि उभय पक्षों के बीच बंटवारा के संबंध में विवाद चल रहा है, जिसके कारण घटना घटित हुई तथा घटना को लेकर उभय पक्ष एकदूसरे के विरूद्ध मामला दर्ज कराये गये हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदकगण को आदेश प्राप्त होने अथवा आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/– एवं समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482(2) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचन पत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता हैः

1. आवेदकगण के एक जमानतदार परिवार के सदस्य अथवा निकट संबंधी होंगे।

2. आवेदकगण इस आशय का शपथपत्र दाखिल करेंगे कि भविष्य में इस तरह के मामले में संलिप्त नहीं होंगे तथा मामले के अनुसंधान एवं विचारण में सहयोग करेंगे।

कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date of order	04-04-2026
Date of reserving order	04-04-2026
Uploading Date	04-04-2026
Uploaded by	Raj Roy (B.C.)